न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1855–एक/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–01–2013 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद के प्रकरण कमांक 144/अपील/2011–12.

.....

1–भागीरथ प्रसाद आत्मज श्यामलाल लौवंशी
2–महेश प्रसाद आत्मज श्याम लौवंशी
3–प्रकाश आत्मज श्री श्यामलाल लौवंशी
तीनों निवासी ग्राम भैरोपुर तहसील सिवनी मालवा
जिला होशंगाबाद म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

मानसिंह आत्मज गुलाबसिंह राजपूत
निवासी ग्राम भैरोपुर सिवनीमालवा तहसील सिवनीमालवा
जिला होशंगाबाद म0प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री नितिन स्थापक, अभिभाषक–आवेदक
श्री यंशवत साहू, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक: 14/6/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–01–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक ने अधीनस्थ तहसीलदार सिवनीमालवा के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम भैरोंपुर तहसील सिवनीमालवा स्थित भूमि

खसरा नम्बर 171/1 रकवा 3.10 एकड़ में से 0.25 एकड़ भूमि पर आवेदकगण का सीमांकन के उपरांत बेकब्जा पाया गया है, जिसे हटाया जाये । अधीनस्थ तहसीलदार न्यायालय द्वारा प्रकरण में कायवाही उपरांत दिनांक 24–11–2011 को आदेश पारित कर आवेदकगण का उपर्युक्त वर्णित भूमि में से बेकब्जा हटाने का आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 24–11–11 से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने उनके द्वारा प्रकरण कमांक 7/अ–70/11–12 दर्ज कर दिनांक 15–5–12 को आदेश पारित की अपील अपास्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–5–12 से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उनके द्वारा प्रकरण कमांक 144/अपील/2011–12 दर्ज कर दिनांक 17–1–2013 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील अपास्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश से दुखित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह बताया कि आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायांलयों के समक्ष यह विधिक तथ्य उठाया गया था कि उन्हें कथित सीमांकन के विषय में न तो कोई जानकारी है और ना ही कोई सूचना दी गई थी, जिसकी अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क दिया कि तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत संहिता की धारा 250 के आवेदन पत्र में यह लेख करना आवश्यक था कि आवेदकगण द्वारा अनावेदक को उसकी कथित भूमि पर से जिस दिनांक से बेकब्जा किया गया है यह तथ्य दर्शित करना आवश्यक था क्योंकि दो वर्षो से अधिक की अवधि तक निगरानीकर्तागण का कब्जा होने पर संहिता की धारा 250 के तहत कब्जा हटाने की कार्यवाही नहीं की जा सकती है, इस विधिक तथ्य की भी अनदेखी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गई है । लिखित तर्क में यह भी बताया कि तहसील न्यायालय में साक्ष्य के दौरान हल्का पटवारी एवं आर0आई0 को साक्ष्य में आहूत किया जाना आवश्यक है, जो नहीं किया जाकर आदेश पारित करने में

विधिक त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा हल्का पटवारी एवं आरआई द्वारा तैयार किये गये दस्तावेजों जैसे नक्शा पंचनामा फील्डबुक प्रतिवेदन आदि का अवलोकन किये वगैर आदेश पारित किये गये हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार की जाये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यह कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाये।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रचलित प्रकरण में सीमांकन की वैधता पर विचार नहीं किया जा सकता है । यदि आवेदकगण सीमांकन से व्यथित थे, तब उन्हें सीमांकन आदेश को निगरानी में चुनौती देना चाहिए थी । अतः इस सम्बन्ध में आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष पूर्णतः विधिसंगत है । तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् साक्ष्य ली जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का अवैध कब्जा पाया गया है, अतः कब्जा हटाने का आदेश पारित करने में तहसीलदार द्वारा वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, और तहसीलदार के वैधानिक आदेश की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा की गई है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाल गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का आधार इस निगरानी में नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–1–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर